

20.10.23

पुत्रावली केस इंडी वकील
वकील उद्योग अखबारकाया से
तलबी छुट ले चुकी है। प्रतिवादीका
न्यायालय में छापि नही है।
तीन-तीन आवजे लमावने कर
की छापि नही आते पर विवाद
प्रतिवादीका एकपक्षीय कायवाही
अदालत में जारी जारी है।
वकील वकील द्वारा अदालत बहस
सुनी जाकर आवली का
अवलोकन, मूजव किया जाकर
ग. I. कन्वर्ज की जारी है।
पुत्रावली केसल सुमार छेकर
वैषय के काम की जाकर
वास्तविक हफ्तार ही। निरिय
खुले न्यायालय में सुनाया
जाकर मीरे हस्ताक्षर व
न्यायालय सुप्रा से जारी
किया गया।

~~जयपुर न्यायालय~~
~~पुत्रावली केस~~

